प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट ' इकतालीस '   [23/3/2017]

प्रश्न सं. [क्र. 6995]

परिशिष्ट–1

कार्यालय नगर पालिका परिषद, खाचरौद जिला–उज्जैन म0प्र0

फोन – 07366–231042 फेक्स नं.–07366–231030 E-mail-cmokhachrod@mpurban.gov.in

क्रमांक/01 /नि.शा./2015   खाचरौद, दिनांक 0.. /01/2015

प्रति,

कार्यपालन यंत्री,
लोक निर्माण विभाग,
उज्जैन संभाग उज्जैन (म.प्र.)

विषय :– पानी की पाईप लाईन डाले जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय में लेख है कि मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजनांतर्गत शहर खाचरौद में नवीन पाईप लाईन डालने का कार्य ठेकेदार प्राची इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. इंदौर द्वारा किया जा रहा हैं। इस हेतु नगर के मुख्य [illegible] के पेवर ब्लॉक को निकालना है एवं शहर खाचरौद में निर्मित समस्त सड़कों को खोदना (रोड़ क्रासिंग) भी हैं। पाईप लाईन डालने एवं टेस्टिंग होने के बाद ठेकेदार प्राची इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. इंदौर द्वारा रोड़ एवं पेवर ब्लॉक को लगाकर सड़क को यथावत् स्थिति में कर दिया जावेगा।

अतः उपरोक्त कार्य के लिये कार्यालयीन स्वीकृति प्रदान करे।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद् खाचरौद

पृ०क्र० 638 /कार्य/14-15 उज्जैन दि० 23/01/2015

प्रतिलिपि :– अनुविभागीय अधिकारी लो०नि०वि० उपसंभाग-खाचरौद की ओर भेजकर लेख है कि उक्त प्रकरण में आप संबंधित उपयंत्री को निर्देशित करे कि वह स्थल पर जाकर निरीक्षण कर रोड कटिंग का प्रतिवेदन सहित प्राक्कलन अभिमत सहित तैयार कर इस कार्यालय में प्रेषित करे जिससे कि अग्रिम कार्यवाही की जा सके

कार्यालय कार्यपालन यंत्री
389
दिनांक 22/1/15
लो. नि. वि. उज्जैन

T.S.(R)

E.E.

कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग (म.प्र.)
उज्जैन संभाग

परिशिष्ट–2

–:: सिंहस्थ पर्व उज्जैन 2016 –सादर आमंत्रित है ::–

कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग (भ/प) उज्जैन संभाग उज्जैन

web site : www.mp.gov.in/pwdmp email: eepwdujn@mp.nic.in
Phone- 0734-2557725

क्रमांक : 1966/कार्य/2014–15 उज्जैन दिनांक 20/03/15

प्रति,

मुख्य नगर पालिका अधिकारी

नगर पालिका परिषद

खाचरौद

विषय :– पानी की पाईप लाईन डाले जाने के संबंध में।

संदर्भ :– आपके द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया एफ.डी.आर. रू. 3870000.00 पत्र क्रं. 498 दिनांक 19.03.15 को जमा किया गया।

–00–

उपरोक्त विषय में लेख है कि मुख्यमंत्री शहरी पेय जल योजनांतर्गत शहर खाचरौद में नई पाईप लाईन डालने हेतु रोड कटिंग की अनुमति निम्न शर्तो अनुसार है :–

1. पाईप लाईन डालने हेतु मार्ग के किनारे से 5 मीटर की दूरी छोड़कर ही कार्य किया जावे। यदि उक्त दूरी कम रही तो यह अनुमति निरस्त मानी जावेगी।
2. रोड कटिंग के समय यह विशेष ध्यान रखा जावे कि यातायात में किसी प्रकार की असुविधा न हो, एवं कहां रोड काटना है इसकी पूर्व सूचना विभाग को देवें।
3. मटेरियल सड़क किनारे न रखा जावे जिससे यातायात में व्यवधान उत्पन्न न हो।
4. समय समय पर लोक निर्माण विभाग, द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन किया जावे।
5. रोड़ कटिंग के समय विभाग के उपयंत्री या अनुविभागीय अधिकारी को अवगत कराया जावे एवं यातायात के नियमों का पालन करें।
6. कार्य समाप्ति के पश्चात् पूर्वानुसार सड़क को बी.टी./सी.सी. से किया जावे एवं पाईप लाईन डालने को पूर्ण भरा जावे।
7. कार्य समय सीमा में पूर्ण किया जावे। इसका विशेष ध्यान रखा जावे।
8. रोड़ कटिंग के समय रोड़ पर मार्ग संकेतक लगाए जावे। जिससे किसी भी प्रकार की दुर्घटना न हो।
9. वर्षा ऋतु के समय रोड कटिंग कार्य प्रारंभ न किया जावें।
10. पाईप लाईन डालने के पश्चात विभाग के अधिकारियों से निरीक्षण करवाया जावें।
11. यदि रोड कटिंग से किसी प्रकार की दुर्घटना या नुकसान होता है तो आप स्वयं उसके जवाबदार होगें। आपके द्वारा उक्त मार्गो को 2 माह के अंदर यथावत नही किया जाता है तो आपकी एफ.डी.आर. रू. 3870000.00 नगदीकरण करा ली जावेगी। समयसीमा का ध्यान रखा जावें।

कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग (भ/प) उज्जैन
संभाग उज्जैन

पृ.से.क्रमांक : 1967/कार्य/2014–15 उज्जैन, दिनांक 20/03/15

प्रतिलिपि :–

1. अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उपसंभाग खाचरौद की ओर सूचनार्थ अग्रेषित्।

कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग (भ/प).उज्जैन
संभाग उज्जैन

–: निर्मल प्रवाहमान क्षिप्रा :–